राजस्थान सरकार
न्यायालय तहसीलदार बीदासर

प्रकरण संख्या 69/2019 दायरा दिनांक 19-08-2019

पीठासीन अधिकारी
श्री अमीलाल यादव
आरटीएस
तहसीलदार बीदासर

राजस्थान सरकार बनाम पटवारी पटवार मण्डल बीदासर
प्रार्थी.................

बनाम

कमला देवी पत्नि गंगाराम जाति मोची निवासी रामदेवरा
अप्रार्थी.............

निर्णय दिनांक 27.09.2019

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है, पटवारी पटवार मण्डल बीदासर ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि अप्रार्थीनी कमला देवी पत्नि गंगाराम जाति मोची निवासी रामदेवरा ने रोही ग्राम रामदेवरा के खसरा नं. 1973/1054 किस्म गै. मु. रास्ता रकबा 05–03 बीघा भूमि में से 0–05 बीघा भूमि पर नाजायज कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया है। अप्रार्थीनी को धारा 91 एल आर एक्ट के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीनी कमला देवी का पुत्र नीयत तारीख पेशी दिनांक 06.09.2019 को उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया कि हमने किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नही किया है, अगर हमारे खेत में से कोई कटाणी रास्ता चालु करवाया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन करने एवं पटवारी पटवार मण्डल बीदासर के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट नकल एक्स, जमाबन्दी व पी 14 से स्पष्ट है कि अप्रार्थीनी कमला देवी पत्नि गंगाराम जाति मोची निवासी रामदेवरा ने रोही ग्राम रामदेवरा के खसरा नं. 1973/1054 किस्म गै. मु. रास्ता रकबा 05–03 बीघा भूमि में से 0–05 बीघा भूमि पर नाजायज कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया है। नियमानुसार अप्रार्थीनी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है और भू0अ0 निरीक्षक बीदासर को आदेशित किया जाता है कि आप अतिक्रमियों को भौतिक रूप बेदखल कर रास्ता खुलवाते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करें तथा पटवारी पटवार हल्का बीदासर को आदेशित किया जाता है कि आप अप्रार्थीगण से शरह पड़ता लगान ग्राम रामदेवरा 00.50 रू प्रति बीघा की दर का 50 गुणा राशि अतिक्रमित भूमि 0–05 बीघा की राशि 10/– दस रूपये वसूल करें तथा तहसील राजस्व लेखाकार मांग कायमी करना सुनशिचित करें।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर से जारी किया गया एवं सरे इजलास सुनाया गया।

उक्त मांग कायमी रा.ले. 4 के पृष्ठ संख्या 05
पर कर ली गई है।
तहसील राजस्व लेखाकार
बीदासर

(अमीलाल यादव)
आरटीएस
तहसीलदार बीदासर